क्रम-संख्या–144(क–10)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 420 / 79-वि-1–2023-1(क)-13-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में, धारा 10 में, –

(क) उप–धारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे;

(ख) उप–धारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप–धारा (2) में, –

(i) दूसरे परंतुक में, शब्द "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा" के स्थान पर शब्द और अंक, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा" रख दिये जायेंगे;

(ii) तीसरे परंतुक में, शब्द "उसके द्वारा" के पश्चात् शब्द "पूर्तिकार को" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 17 में, –

(क) उप–धारा (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक " अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट " के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

" अनुसूची 3 के ,–

(i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्यय और

(ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहित गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।";

(ख) उप–धारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः –

"(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;"।

धारा 23 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 23 में, उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा रख दी जाएगी और तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जाएगी, अर्थातः–

"(2) धारा 22 की उप–धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।"

धारा 30 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, –

(क) शब्द "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति सेः", के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकारी को "रख दिये जायेंगे;

(ख) परंतुक को निकाल दिया जाएगा।

धारा 37 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 37 में, उप–धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः–

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप–धारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप–धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 39 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 39 में, उप–धारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः–

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 44 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप–धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात: –

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप–धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप–धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है। "

धारा 52 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप–धारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

"(15) प्रचालक को उप–धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप–धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 54 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 54 में, उप–धारा (6) में, शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," निकाल दिये जायेंगे।

धारा 56 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द "उक्तधारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक", के स्थान पर शब्द "इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन जैसा विहित किया जाये, रख दिये जायेंगे ।

धारा 62 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 62 में, उप–धारा (2) में, –

(क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायेंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः–

"परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा ।"

धारा 109 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः–

"109–इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

धारा 110 तथा 114 का निकाला जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 110 तथा धारा 114 को निकाल दिया जायेगा।

धारा 117 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 117 में,—

(क) उप—धारा (1) में, शब्द ''राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठों'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उप—धारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द ''राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य पीठ'' रख दिये जाएंगे।

धारा 118 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 118 में, उप—धारा (1) में, खंड (क) में, शब्द ''राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर, शब्द ''प्रमुख पीठ'' रख दिये जायेंगे।

धारा 119 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 119 में,—

(क) शब्द ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रमुख पीठ'' रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द ''राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठ'' रख दिये जाएंगे।

धारा 122 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उप—धारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

''(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो—

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उप—धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा,।''

धारा 132 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 132 में, उप—धारा (1) में, —

(क) खंड (छ), (ञ) और (ट) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ठ) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (क) से (ट)'', के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ)'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खंड (iii) में, शब्द ''जहां'' के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में'' रख दिये जायेंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''या खंड (छ) या खंड (ञ)'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 138 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

(क) उप—धारा (1) में, पहले परंतुक में, —

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात:—

''(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था;''

(ii) खंड (ख) निकाल दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात:—

''(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;''

(iv) खंड (ङ) निकाल दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर

के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने'',के स्थान पर शब्द'' अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने'' रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 158क का बढ़ाया जाना

22—मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''158क (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थात: —

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।

(2) उप–धारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी,—

(क) उप–धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता; और

(ख) उप–धारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उप–धारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपत्र में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III की कतिपय गतिविधियों और संव्यवहारों को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना

23—(1) मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 7 और 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया) पहली जुलाई, 2017 से उसमें बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(2) एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नही किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उपधारा (1) समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त होती।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2023

24—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे ("उक्त अधिनियम" कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246 क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 8 सन, 2023) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन, 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन, 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।